

10/18/8
 कमानली बालर कादेशा चेरा हुरी/जामकी
 पत्र पर बहस प्रबु के सुनी ना सुनी है।
 एकाई द्वारा जा. पत्र व रिपोर्ट का प्रबलना
 किया गया। जामकी द्वारा अपनी इगतेदारी
 कृषि मंत्रि-पत्र 8 576 19 के अन्तर्गत ल.
 7/43 के अन्तर् 1.265 है। कृषि मंत्रि हेतु
 एसी-पत्र के अगतेदार कायतका कजामी
 ल. 1 श्री कृषि मंत्रि अन्तर्गत ल. 27/18 के
 अन्तर्गत कुल 2.530 है। कृषि मंत्रि के ल. प.
 नं. 82/277 अन्तर्गत ल. 25 के अन्तर्गत लीव
 पर प्रबु के परिपत्र 8 1/4 - कौडाई व 165
 लुट लम्बाई के अन्तर्गत लकीकृत करने हेतु
 जामकी-पत्र पत्र करने पर कजामी/जा. के
 परिपत्र कोरिस तलब किया गया। कजामी
 ल. 1 का रिपोर्ट कोरिस किचवाले गले
 किन्तु हाथिर नही आने पर कजामी के
 विरुद्ध ल. पत्र लीव कायवाली के कादेशा
 पारिस किने गले। कजामी ल. 2 श्री और
 रिपोर्ट रिपोर्ट व कोका डाटा हुरी का
 शामिल कमानली है। रिपोर्ट तहसील
 कजामी जामकी के अन्तर्गत के अन्तर्गत हेतु अन्तर्गत
 कोरिस किचरतक अन्तर्गत नही है जामकी के
 अन्तर्गत के आबगामन हेतु अन्तर्गत श्री आवरणक
 रिपोर्ट के बतलाई है।

अतः जामकी-पत्र का कोरिस विरुद्ध
 नही होने तथा तहसील रिपोर्ट के अन्तर्गत
 (64)

कोई शकल जमीन के खेत में जाते हुए
नहीं होने, शकल ज. पत्र अनुसार
सिफ्टरक होने के कारण उपरोक्त विवेचन
के आधार पर जमीन का ज. पत्र स्वीकृत
किया जाता न्यायिक है।

अतः जमीन का ज. पत्र स्वीकृत किया
जाता है। अजमीन स. 1 की स्थिति में न. न. न.
8 ST 6 'A' के प. न. 82/277 के स. न.
25 के कनिष्ठी सीब पर पूर्व के पश्चिम
8 1/2 चौड़ाई व 165 फुट लम्बाई के
शकल स्वीकृत किया जाता है, जमीन
शकल की स्थिति के बदले अजमीन स. 1
की स्थिति के निम्न स्थिति में देगा।
तहसीलदार (रायचौर) हुकूमत गढ़ की
उम्मातुल्लाह शकल का रायचौर रिकार्ड
में अंकन हेतु लिखा जाये। पयानली
के लिये हुकूमत डेकर दार्शनल दफ्तर की
जाये।

आदेश सुनाया गया।

(सह)
सहायक क्लर्क
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़